

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित लिफ्ट/2018-19/23652-62

दिनांक : 13/6/19

परियोजना अधिकारी  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
बांसवाडा ।

विषय : नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को सौलर ऊर्जा से संचालित करने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 10101-9 दिनांक 21.02.2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से कराने की अनुपालना में प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नानुसार सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के निर्माण एवं स्थापना की कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 58.49 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जलोत्थान सिंचाई योजना का स्थान	पंचायत समिति	प्रशासनिक स्वीकृत की राशि	तकनीकी स्वीकृति		कृषक द्वारा 10 प्रतिशत देय राशि	विभाग द्वारा 90 प्रतिशत देय राशि
				क./दि.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम व ग्राम पंचायत खजुरी	छोटी सरवन	40.00	23/16-5-19	58.49	5.16	53.33

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 58.49 लाख के विरुद्ध टीएडी मद की देय राशि 53.33 लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 49/ 2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रु. 400.00 लाख में से होगी। टीएडी मद द्वारा देय राशि की प्रथम किश्त की राशि 80 प्रतिशत 42.86 लाख रु. निदेशक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को देय होगी।

कार्य के सम्पादन में कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी -

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का Third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. प्रस्तावित जल स्रोत में योजना की आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
8. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं में लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि विवरण सत्यापित कर इस कार्यालय को सूचित किया जावे। योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों में से 50 प्रतिशत से अधिक (संख्या एवं क्षेत्रफल) जनजाति कृषक का होगा।
9. स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में लाभान्वित कृषकों से ली जायेगी। कृषकों का अंशदान नकद/श्रम के रूप में लाभान्वित कृषकों से अनिवार्य रूप से वहन किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किए जावे।

10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु लाभार्थियों की समिति गठित की जावे एवं कमेटी का अध्यक्ष जनजाति लाभार्थियों में से होगा।
11. परियोजना अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जावे।
12. निर्माण कार्य पश्चात् कार्य संचालन हेतु परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर रख-रखाव हेतु प्रति माह बैठक रखी जावे तथा बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावे।
13. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्ष तक परियोजनाओं का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना चालु होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लाभान्वितों, स्वच्छ परियोजना एवं ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग जारी किये जावे। इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही प्रतिवर्ष रख रखाव का भुगतान किया जावे।
14. स्वच्छ परियोजना द्वारा समय-2 पर (सिंचाई के समय 15 दिवस एवं शेष समय में 2 माह में एक बार) लाभान्वितों की बैठक आयोजित की जावे। जिसमें संचालन एवं आपसी विवाद यथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना, आदि समस्याओं का निराकरण किया जावे।
15. स्वच्छ परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समय-समय पर कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फसल चक्र, उन्नत बीज, खाद की जानकारी कृषकों को दी जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)  
आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित लिफ्ट/2018-19/23652-62 दिनांक : 13/6/19  
प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना, बडी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है टीएडी मद की देय राशि 387.46 लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 49/ 2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रु. 400.00 लाख में से प्रथम किश्त की राशि 80 प्रतिशत 42.66 लाख रु. निदेशक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तान्तरित करावे।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना बांसवाडा ।
9. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)